2024 का विधेयक संख्यांक 42

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 5 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 42

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2024 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 5 के खण्ड (झ) के नीचे परंतुक के अन्त में ''।'' चिन्ह के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– धारा 5 का संशोधन।

> "परन्तु यह और कि राज्य सरकार कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसी भूमि, यथास्थिति, संरचना या दोनों का अन्तरण, अधिकतम तीस एकड़ की सीमा के अध्यधीन धार्मिक, आध्यात्मिक या पूर्त प्रयोजन हेतु अनुज्ञात कर सकेगी। इस प्रकार अन्तरित की जाने वाली भूमि, यथास्थिति, संरचना या दोनों का प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए इसे अनुज्ञात किया गया है ऐसा न होने पर भूमि, यथास्थिति, संरचना या दोनों सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राधा स्वामी सत्संग ब्यास सम्पूर्ण देश में अपना क्रियाकलाप चलाने वाला एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसने राज्य में नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के कई केन्द्र स्थापित किए हैं। यह जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसने हमीरपुर जिला के भोटा में एक अस्पताल भी स्थापित किया है जो लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति कर रहा है।

यह संगठन हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के अधीन यथा विहित अनुज्ञेय सीमा से परे (अधिक) भूमि धारित कर रहा है क्योंकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (झ) के उपबन्ध के अधीन उक्त भूमि को छूट दी गई है।

राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने राज्य सरकार को कई बार अनुरोध किया कि उसे भोटा पूर्त (चेरिटेबल) अस्पताल की भूमि और भवन को चिकित्सा सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए, जोकि इसका एक सहयोगी संगठन कहा गया है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (झ) के नीचे का परंतुक इस खण्ड के अधीन छूट प्राप्त भूमि या संरचना के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। जनहित में भोटा पूर्त अस्पताल के भूमि हस्तांतरण तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों को सुकर बनाने के आशय से कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति का उपबन्ध प्रस्तावित किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

धर्मशाला:
तारीख 2024

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धि ज्ञापन

–शून्य–

अधिप्रमाणित
(जगत सिंह नेगी)
राजस्व, उद्यान एवं जनजातीय विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश
शिमला–171002

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:
तारीख , 2024

अधिप्रमाणित

(जगत सिंह नेगी)
राजस्व, उद्यान एवं जनजातीय विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश
शिमला–171002

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराः

5. **छूटः**–इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगेः–

(क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि,

(ख) रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि सोसाईटियों की भूमिः

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सोसाईटी के सदस्य का शेयर उसकी अन्य भूमि सहित, यदि कोई हो, अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक नहीं है,

(ग) भूमि बन्धक बैंकों, राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों और किन्हीं अन्य बैंकों की भूमि।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "किन्हीं" अन्य बैंकों से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में, यथापरिभाषित, "तत्समान नया बैंक" कृषक पुनर्वित्त निगम और कृषि उद्योग निगम, कृषि वित्त निगम लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित्त कम्पनी और इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था है;

(घ) स्थानीय प्राधिकरणों की या उनमें निहित भूमि;

स्पष्टीकरण.—इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिए ''स्थानीय प्राधिकरण'' से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर परिषद् नगर निगम,ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय या अन्य कानूनी निकाय अभिप्रेत है।

(ङ) से (च) XX XX XX

(छ) चाय सम्पदाएं।

(ज) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित भूमि जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा वास्तविक औद्योगिक उपयोग, या किसी जल विद्युत परियोजना द्वारा किसी वास्तविक परियोजना के उपयोग के लिए धारित है या किसी अन्य रीति में अर्जित की जानी है । राज्य सरकार, यह विचार करते समय कि क्या ऐसी भूमि इस प्रकार धारित है या अर्जित की जानी है, औद्योगिक उपक्रम या जल विद्युत परियोजना द्वारा पूर्व धारित, भूमि, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत इस द्वारा औद्योगिक या परियोजना के उपयोग के लिए पहले से धारित भूमि भी होगी, की सीमा और अवस्थिति और इसके भविष्य में विस्तारण के लिए उपयुक्त आवश्यकता का भी ध्यान रखेगी:

परन्तु यदि राज्य सरकार का इस खण्ड के अधीन अधिसूचित भूमि की दशा में समाधान हो जाता है, कि औद्योगिक उपक्रम या जल विद्युत परियोजना द्वारा उस खण्ड के अधीन जारी अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर (या पांच वर्ष से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि, जैसी राज्य सरकार निश्चय करे) भूमि का वास्तविक रूप में अर्जन नहीं किया गया है या उसका वास्तविक रूप में उपयोग नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक सकझे, विहित रीति में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी, कि आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि या उसके किसी भाग को ऐसी तारीख से, जो आदेश में उल्लिखित है, छूट प्राप्त भूमि नहीं रहेगी।

(झ) जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित नैतिक या धर्म–निरपेक्ष शिक्षाओं का प्रचार करने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों से सम्बन्धित भूमि:

परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट, केवल तभी तक जारी रहेगी जब तक ऐसी भूमि और अवसंरचना, यदि कोई है, का उपयोग ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसे ऐसे निकायों या संगठनों द्वारा विक्रय, पट्टा, दान, वसीयत, सकब्जा बन्धक द्वारा या किसी अन्य रीति से अन्तरित नहीं किया जाएगा और इस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में ऐसी भूमि या अवसंरचना या दोनों, यथास्थिति सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 42 OF 2024

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 5.

Bill No. 42 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2024.

Amendment of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, in the end of the proviso below clause (i), for sign ".", the sign":"shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

> "Provided further that the State Government for reasons to be recorded in writing may allow transfer of such land, structure or both, as the case may be, for religious, spiritual or charitable purpose, subject to a maximum limit of thirty acres. The land, structure or both, as the case may be, so transferred shall be used for the same purpose for which it has been allowed failing which the land, structure or both, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Radha Soami Satsang Beas is a religious and spiritual organisation carrying out its activities across the county. It has set up many centres for imparting moral, spiritual, and religious education in the State. It is actively working for eradication of castiesm, alcoholism and drug addiction etc. It has also set up a hospital at Bhota in Hamirpur district which is catering to the health services of the public.

This organisation has been holding land in the State beyond the permissible limit as prescribed under the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, as the said land is exempted under the provision of clause (i) of section 5 of the Act *ibid.*

The Radha Soami Satsang Beas has been requesting the State Government time and again to allow it to transfer the Land and building of Bhota Charitable Hospital to the Jagat Singh Medical Relief Society which is said to be its sister organisation, for better management of the medical services. The proviso below clause (i) of section 5 of the Act *ibid.* bars transfer of land or structure exempted under this clause. In order to facilitate the case of land transfer of Bhota Cheritable Hospital in the public interest and other cases of similar nature, the provision of permission by the State Government has been proposed with certain conditions. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI),
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
THE , 2024.

Authenticated

(Jagat Singh Negi)
Rev., Hort., TD & RPG Minister, H.P.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act 19 of 1973).

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

Authenticated

(Jagat Singh Negi)
Rev., Hort., TD & RPG Minister, H.P.

DHARAMSHALA:
THE , 2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS ACT, 1972 (ACT NO.19 OF 1973) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

5. Exemptions.—The provisions of this Act shall not apply to—

(a) lands owned by the State Government or the Central Government;

(b) lands belonging to registered Co-operative Farming Societies:

Provided that the share of a member of such society, together with his other land, if any, does not exceed the permissible area;

(c) lands belonging to Land Mortgage Banks, the State and Central Co-operative Banks and any other Banks.

Explanation.—For the purpose of this clause 'any other Banks' means a banking company as defined in section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and includes the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), as Subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), and a "corresponding new bank" as defined in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Agricultural Refinance Corporation, and Agro-Industries Corporation, Agricultural Finance Corporation Ltd., a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and any other financial institution notified by the State Government in this behalf;

(d) lands belonging to or vested in local authorities;

Explanation.—For the purpose of this sub-clause "local authority" means a Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation, Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, Board, Corporation, University or other statutory bodies constituted under any law made by the State Government or the Central Government;

(e) and (f) xx xx xx

(g) tea estates;

(h) land as is notified by the State Government being land which is held or to be acquired in any manner, by an industrial undertaking for a bonafide industrial use, or by a hydel project for a bonafide project use. In considering whether such land is so held or to be acquired, the State Government shall have regard to the extent and location of the land, if any, already held by the industrial undertaking or the hydel project including any land which it may already hold for industrial or project use and its genuine requirement for future expansion:

Provided that if the State Government in the case of land notified under this clause is satisfied that the land has not been actually acquired or has not been actually put to use by the industrial undertaking or the hydel project within a period of two years (or such extended period not exceeding five years as the State Government may decide) from the date of notification issued under this clause, the State Government may, after making such enquiry as it thinks fit, by order published in the prescribed manner, direct that the land or any part thereof specified in the order shall, with effect from such date as is mentioned in the order, cease to be exempted land.

(i) lands belonging to religious or spiritual bodies or organizations, propagating moral or secular teachings including eradication of casteism, alcoholism and drug addiction etc.:

Provided that the exemption under this clause shall continue only as long as such land and structure, if any, is used for its purposes by such religious or spiritual bodies or organizations and the same shall not be transferred by way of sale, lease, gift, will, mortgage with possession or in any other manner by such bodies or organizations and in the event of contravention of the provisions of this clause, such land or structure or both, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—1723—जुड / 2024—15—12—2024——175.